(26

समाहरणालय, सिवान

(जिला पंचायत कार्यालय) ई–मेल–dpro-sw-bih@nic.in

पत्रांक– 1555/ पंचायत, सिवान दिनांक– 31.05.2025

प्रेषक,

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)
–सह–
जिला पदाधिकारी, सिवान।

सेवा में,

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
बिहार, पटना।

विषय :– **नगर पंचायत महाराजगंज के क्षेत्र विस्तार के उपरान्त वार्ड गठन से संबंधित प्रारूप प्रपत्र–6 के प्रकाशन के सम्बंध में।**

प्रसंग :– **आपका पत्रांक– 2177, दिनांक– 21.05.2025**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में नगर पंचायत–महाराजगंज के वार्डो का परिसीमन एवं गठन के उपरांत प्रारूप प्रपत्र–6 का प्रकाशन उपरोक्त नगर पंचायत के सूचनापट्ट एवं जिला दण्डाधिकारी के कार्यालय के सूचनापट्ट पर दिनांक–31.05.2025 को कर दिया गया है।

कृपया सूचनार्थ।

विश्वासभाजन

31.5.25

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)
–सह–
जिला पदाधिकारी, सिवान।

31/5/25
जिला पंचायत राज पदाधिकारी
सिवान
31/5/25

वरीय प्रभारी
-सह-
उप विकास आयुक्त
सिवान

Email
31/5/25

E:\ACER OFFICE\SUNIL BABU\ALL LETTER ANIL 2025.docx

124

31/5/25

बिहार सरकार
अनुमण्डल कार्यालय, महाराजगंज

दूरभाष 06153 243491(कार्यालय)
मोबाईल नं0 9473191276
E-mail:-sdo.maharajganj@gmail.com

पत्रांक 720 / दिनांक 31-5-2025

प्रेषक,

अनुमण्डल पदाधिकारी,
महाराजगंज।

सेवा में,

जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
सिवान।

विषय :– नगर पंचायत, महाराजगंज के नवगठित वार्डो का प्रारूप प्रकाशन के संबंध में।

प्रसंगः– जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, सिवान के ज्ञापांक 1445 /पं0, दिनांक 22.05.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र से संसूचित है कि सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना के पत्रांक 2177 दिनांक 21.05.2025 के आलोक में नगर पंचायत, महाराजगंज के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्ड) का परिसीमन एवं गठन कर प्रारूप प्रकाशन हेतु प्रपत्र एवं नजरी नक्शा इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा जाता है।

अनु0:–यथोक्त।

विश्वासभाजन

31/5/25

अनुमण्डल पदाधिकारी,
महाराजगंज।

प्रपत्र–6

(नियम–29 (1) देखिए)

प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डो की सूची के प्रकाशन हेतु विहित प्रपत्र)

1. नगर पंचायत का नाम – महाराजगंज
2. अनुमण्डल का नाम – महाराजगंज
3. जिला का नाम – सिवान।

क्र0स0	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) संख्या	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) की जनसंख्या (2011 की जनगणना के अनुसार)				प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) की चौहद्दी
		अनु0 जाति	अनु0 जनजाति	अन्य	कुल	
1	1	229	159	943	**1331**	उ0– करसौत द0– भाउछपरा पु0– प्रा0 वि0 धनछुहा प0– सवान विंग्रह
2	2	111	44	1003	**1158**	उ0– पैगम्बरपुर पथ द0– पसनौली पु0– सिहौता एवं मानपुर सडक तक प0– प्रा0 वि0 धनछुहा
3	3	100	34	1008	**1142**	उ0– मानपुर–पैगम्बरपुर पथ से रामलखन चौक तक द0– बाटा मोड़ से राजेन्द्र चौक तक पु0– राजेन्द्र चौक से रामलखन चौक प0– बाटा मोड़ (हल्दी हाटा) से मानपुर सडक तक
4	4	45	47	1111	**1203**	उ0– बाटा मोड़ से हल्दी हाटा होते हुए धनछुहा नहर पुल तक। द0– नहर पुल एवं प्रखण्ड परिसर से धनछुहा नहर पुल तक पु0– बाटा मोड से प्रखण्ड के पास नहर पुल तक प0– नहर

क्र०सं०	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) संख्या	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) की जनसंख्या (2011 की जनगणना के अनुसार)				प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) की चौहद्दी
		अनु0 जाति	अनु0 जनजाति	अन्य	कुल	
5	**5**	64	20	1166	**1250**	उ0– उमाशंकर पथ से पदमाकर जी के घर होते हुए शंकर जी के मंदिर सें मकतब स्कूल तक द0– कर्पूरी पथ कर्पूरी मुर्ति से पसनौली गगन वट वृक्ष तक पु0– पसनौली वट वृक्ष से कर्पूरी पथ होते हुए मकतब स्कूल तक प0– महाराजगंज दरौदा रोड में उमाशंकर पथ से कर्पूरी जी की मुर्ति तक
6	**6**	25	19	1016	**1060**	उ0– उमाशंकर पथ में देवानन्द प्र0 के घर से नखाश चौक तक द0– पदामकर जी के घर से मकतब स्कूल तक पु0– कर्पुरी पथ मकतब स्कूल नखाश चौक तक प0– देवानन्द प्र0 के घर से पदमाकर प्र0 के घर तक
7	**7**	195	30	811	**1036**	उ0– काजी बाजार मोड से पोस्ट ऑफिस होते हुए लालबाबु के घर तक द0– उमाशंकर प्र0 के मूर्ति से नखाश चौक पु0– नखाश चौक से लाल बाबु के घर तक प0– उमाशंकर प्र0 की मुर्ति से नखाश चौक तक
8	**8**	200	50	1053	**1303**	उ0– बाटा मोड़ से राजेन्द्र चौक तक द0– काजी बाजार मोड़ से पोस्ट ऑफिस होते हुए लालबाबु के घर, मोहन बाजार तक पु0– लालबाबु के घर मोहन बाजार से राजेन्द्र चौक तक प0– बाटा मोड़ से काजी बाजार मोड़ तक

C.O

क्र0स0	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) संख्या	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) की जनसंख्या (2011 की जनगणना के अनुसार)				प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) की चौहद्दी
		अनु0 जाति	अनु0 जनजाति	अन्य	कुल	
9	9	100	91	1055	**1246**	उ0– राम लखन चौक से बंगारा रेलवे ढाला अंडरपास तक द0– महाबीर जी के झंडा मोहन बाजार से रेलवे स्टेशन ब्रम्ह स्थान तक पु0– रेलवे स्टेशन से बंगरा रेलवे ढाला अन्डर पास तक प0– मांझी बरौली पथ महावीर जी का झंडा से रामलखन चौक।
10	10	89	130	1053	**1272**	उ0– महाबीर जी के झंडा मोहन बाजार से रेलवे स्टेशन ब्रम्ह स्थान तक द0– मनोज टेंट के घर के आगे पुलिया से रेलवे पुल तक पु0– रेलवे पुल से रेलवे स्टेशन ब्रम्ह स्थान तक प0– मनोज टेंट के घर से कर्पूरी पथ होते हुए नखाश चौक होते हुए महाबीर जी का झंडा मोहन बाजार तक।
11	11	100	18	1908	**2026**	उ0– बसंतपुर पथ में पेट्रोल पंम्प के पास रेलवे ढाला से अनुमण्डल के सामने डॉ राजेश कुमार के क्लिनिक तक। द0– रेलवे ढाला पसनौली से इंदौली जरती माई गेट होते हुए तक्कीपुर रोड में भिखारीपुर सीमा तक। पु0– अनुमण्डल कार्यालय के सामने डॉ राजेश कुमार से चीनी मील चवर होते हुए तक्कीपुर सडक तक। प0– बंसंतपुर पथ में पेट्रोल पम्प के पास रेलवे ढाला से मांझी बरौली रोड पार करते हुए पसनौली रेलवे ढाला तक।

क्र0सं0	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) संख्या	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) की जनसंख्या (2011 की जनगणना के अनुसार)				प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) की चौहद्दी
		अनु0 जाति	अनु0 जनजाति	अन्य	कुल	
12	**12**	150	130	1748	**2028**	उ0– इन्दौली – तक्कीपुर रोड से भीखारीपुर तक। द0– रुकुन्दीपुर । पु0– भिखारीपुर। प0– मॉझी बरौली पथ स्कुल के पास से –धनौता जाने वाला सडक में नहर पुल तक।
13	**13**	115	28	1887	**2030**	उ0– मॉझी बरौली पथ इन्दौली जरती माई पूर्वी गेट से पसनौली गगन रेलवे ढाला तक। द0– रेलवे नहर से धनौती सडक तक। पु0– मॉझी बरौली पथ से जरती माई पूर्वी गेट से प्रा0 वि0 इन्दौली होते हुए धनौता पुल तक प0– पसनौली रेलवे गेट से रेलवे नहर पुल तक।
14	**14**	200	17	1812	**2029**	उ0– कर्पूरी पथ पुलिया से रेलवे पुल तक। द0– प्रखण्ड के पास नह पुल से रेलवे नहर पुल तक। पु0– रेलवे पुल से रेलवे नहर पुल तक। प0– कर्पूरी पथ जरती माई गेट पश्चिम से प्रखण्ड के पास नहर पुल तक।
15	**15**	138	33	1859	**2030**	उ0– नहर द0– कोथुवा सारंगुपर पु0– नहर से नगर पंचायत कार्यालय होते हुए दरौदा महाराजगंज मुख्य पथ होते हुए सिमा जी शिक्षिका के घर तक। प0– भाउछपरा।

क्र0स0	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) संख्या	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) की जनसंख्या (2011 की जनगणना के अनुसार)				प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) की चौहद्दी
		अनु0 जाति	अनु0 जनजाति	अन्य	कुल	
16	**16**	187	42	1753	**1982**	उ0– दरौदा –महाराजगंज पथ से नगर पंचायत कार्यालय होते हुए नहर के बाध होते हुए जरती माई मंदिर के पिछे चवर तक। द0– सिमा जी शिक्षिका के घर से नवलपुर के पिछे से रेलवे लाइन तक रेलवे ढाला रामापाली से चवर होते हुए धोबही पोखरा तक। पु0– धोबही पोखरा से कटवार चवर होते हुए जरती माई मंदिर के पिछे नहर तक। प0– रेलवे ढाला रामापाली से रेलवे नहर पुल तक।
17	**17**	54	0	1840	**1894**	उ0–रामापाली रेलवे ढाला से रामापाली चवर पोखरा तक। द0– रेलवे लाईन के दक्षिण छोर से कोथुआ सरंगपुर पंचायत के सीमा तक। पु0– अभुई कटवार चवर से रामापली चवर पोखर तक प0– रामापाली रेलवे ढाला से काली स्थान होते हुए दक्षिण सीमा कोथुआ संरंगपुर तक
कुल–	**17**	2102	892	23026	**26020**	

स्थान –महाराजगंज।

तारीख–

Ashfaque Ahmad
अंचल अमीन
महाराजगंज

31/05/25
अंचलाधिकारी,
महाराजगंज।

31.5.25
प्र0वि0पदा0,
महाराजगंज।

31.05.25
अवर निर्वाचन पदाधिकारी,
महाराजगंज।

31/5/25
अनुमण्डल पदाधिकारी
महाराजगंज।

31/5/25
जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
सिवान।

उप विकास आयुक्त,
सिवान।

31.5.25
जिला पदाधिकारी,
सिवान।

नगर पंचायत – महाराजगंज – नजरी नक्शा (नवगठित)

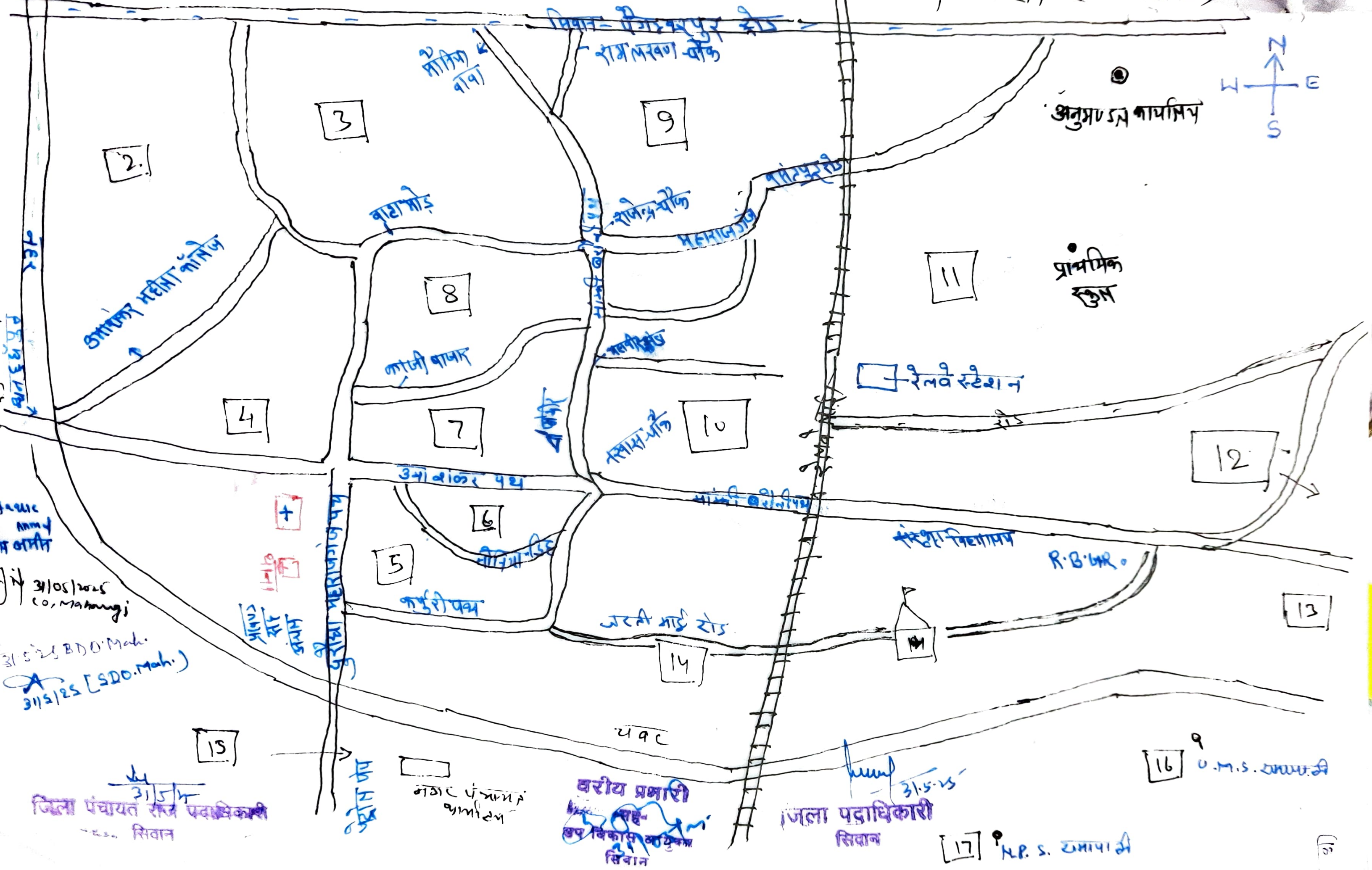

समाहरणालय, सिवान

(जिला पंचायत कार्यालय)

-: आ दे श :-

सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना के पत्रांक-2177 दिनांक-21.05.2025 द्वारा सूचित किया गया है कि नगर विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना द्वारा नगर पंचायत महाराजगंज के क्षेत्र का विस्तार किया गया है। आयोग द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना एवं जिला स्तर से संपुष्ट जनसंख्या के तहत गठित उक्त नगर पंचायत महाराजगंज के वार्डो की संख्या का निर्धारण बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 13 में निर्धारित विहित रीति से आयोग द्वारा कुल वार्डो की संख्या-17 निर्धारित की गयी है। संविधान के अनुच्छेद 243 ZA (i) सह पठित बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 14 एवं **बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली के नियम 29(1) तथा 92 में प्रदत्त शक्तियों के अधीन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर निकाय में वार्डो के गठन हेतु निम्न निदेश दिये गये है :-**

(1) प्रत्येक वार्ड में सटे हुए इलाके रहेंगें तथा प्रत्येक वार्ड का गठन इस प्रकार किया जायेगा ताकि उसे दूसरे वार्डो से स्पष्ट रूप से अलग समझने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होने पाये अर्थात् वार्डो का गठन इस प्रकार किया जायेगा ताकि उसकी चौहद्दी कोई सड़क, गली, मुख्य इमारत या स्थान, सरकारी भवन/निजी भवन या अन्य कोई वस्तु हो जिनके द्वारा संबंधित वार्डो एवं उसकी सीमा को आसानी से पहचाना जा सके। आम तौर पर वार्ड की चौहद्दी प्राकृतिक या कृत्रिम वस्तुओं के जरिये एक दूसरे से साफ-साफ अलग रहेगी ताकि मतदाता सूची स्पष्ट रूप से तैयार की जा सके।

(2) वार्डो के गठन के पश्चात् प्रत्येक वार्ड का संख्यांकन किया जायेगा। वार्डो का संख्यांकन उत्तर पश्चिम दिशा से प्रारंभ कर दक्षिण-पूरब दिशा में समाप्त किया जायेगा। वार्डो का संख्यांकन इस प्रकार किया जायेगा कि वार्डो का संख्यांकन 1(एक) से शुरू होकर लगातार वार्ड संख्या 1, वार्ड संख्या 2, वार्ड संख्या 3 इत्यादि के रूप में हो। इस प्रकार संख्यांकित वार्डो की भौगोलिक तारतम्यता बनी रहती चाहिए तथा एक के बाद एक संख्यांकित वार्ड एक दूसरे से सटे हुए रहने चाहिए।

(3) उक्त रूप से प्रारूप प्रकाशित वार्डो के बारे में प्रारूप प्रकाशन की तिथि से संलग्न समय सारणी के अनुसार वार्डो के गठन के बारे में जिला दण्डाधिकारी के समक्ष या जिला दण्डाधिकारी को सूचित करते हुए उनके द्वारा प्राधिकृत किसी पदाधिकारी के समक्ष आपत्तियाँ दर्ज की जा सकेगी। आपत्तियाँ प्रारूप प्रकाशित वार्डो के सिर्फ परिसीमन, जनसंख्या तथा वार्डो के संख्याकन से संबंधित बिन्दुओं पर ही दी जा सकेगी।

(4) जिला दण्डाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक जॉचोपरांत आवश्यक आदेश पारित किया जायेगा जो अंतिम होगा। इस प्रकार "प्राधिकृत पदाधिकारी" का तात्पर्य नगर निकाय के बारे में अनुमंडल दण्डाधिकारी से अन्यून स्तर के पदाधिकारी से है। प्राप्त आपत्तियों का निष्पादन प्रारूप प्रकाशन के उपरांत संलग्न समय सारिणी के अनुसार किया जायेगा।

(5) उपर्युक्त तरीके से नगर निकाय का गठन तथा संख्यांकन संलग्न प्रपत्र 6 में संबंधित नगर निकाय के सूचना पट तथा जिला दण्डाधिकारी के कार्यालय के सूचना पट में संलग्न निर्धारित समय सारणी के अनुसार प्रारूप प्रकाशित किया जायेगा। प्रारूप प्रकाशन की सूचना नगर निकाय क्षेत्र में ध्वनि विस्तारक यन्त्रों एवं वेबसाईट से भी दे दी जायेगी। प्रारूप प्रकाशित करते समय यह ध्यान रखा जायेगा कि प्रपत्र-6 से भिन्न अन्य किसी प्रपत्र या रूप में प्रारूप प्रकाशन नहीं किया जाय। प्रपत्र-6 के विभिन्न स्तंभों के विरूद्ध सभी आवश्यक प्रविष्टियाँ भी सही रूप से भरी जानी चाहिये।

उपरोक्त प्राप्त निदेश के आलोक में क्षेत्र विस्तारित नगर पंचायत, महाराजगंज मे वार्ड गठन के सन्दर्भ में आपत्ति प्राप्त करने एवं प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक जॉचोपरांत आवश्यक आदेश पारित करने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, महाराजगंज को प्राधिकृत पदाधिकारी नामित किया जाता है। साथ ही आदेश दिया जाता है कि आयोग के दिशा-निर्देश का अक्षरशः अनुपालन करते हुए प्राप्त आपतियों पर सम्यक जॉचोपरांत ससमय आवश्यक आदेश पारित करना सुनिश्चित करें।

D:\ALL LETTER OP.docx

Scanned with CamScanner

नगर पंचायत, महाराजगंज के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्ड) के गठन हेतु समय सारणी उपलब्ध कराया गया है जो निम्नवत् है :–

1.	वार्डो का परिसीमन एवं गठन	–	23.05.2025 से 30.05.2025 तक ।
2.	गठित वार्डो का प्रारूप प्रकाशन	–	31.05.2025 ।
3.	दावा आपत्तियों की प्राप्ति की अवधि	–	31.05.2025 से 13.06.2025 तक ।
4.	प्रारूप प्रकाशन के दौरान प्राप्त आपत्तियों का निष्पादन	–	02.06.2025 से 20.06.2025 ।
5.	आपत्तियों के निष्पादन के उपरांत प्रोविजनल नक्शा एवं चौहदी सहित वार्ड का प्रकाशन एवं सीमित आपत्ति की प्राप्ति।	–	21.06.2025 से 23.06.2025
6.	वार्डो की सूची तैयार कर उस पर प्रमंडलीय आयुक्त का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु प्राप्ति सीमित आपत्ति के साथ प्रोविजनल नक्शा का प्रेषण एवं प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा सुनवाई के उपरांत अंतिम अनुमोदन	–	24.06.2025 से 30.06.2025 ।
7.	अंतिम रूप से गठित वार्डो का जिला गजट मे प्रकाशन	–	03.07.2025 ।
8.	राज्य सरकार (नगर विकास एवं आवास विभाग) एवं राज्य निर्वाचन आयोग को जिला गजट में प्रकाशित वार्डो की सूची एवं मानचित्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि	–	07.07.2025 तक ।

अतः उपरोक्त पत्र की प्रति (अनुलग्नक सहित) इसके साथ संलग्न करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, महाराजगंज को आदेश दिया जाता है कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी, महाराजगंज से आवश्यक सहयोग प्राप्त करते हुये पत्र मे वर्णित सभी दिशा–निर्देश का ससमय अक्षरशः अनुपालन एवं कालबद्ध तरीके से कार्यो का निष्पादन सुनिश्चित करेंगे। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही अथवा शिथिलता के लिए सम्बंधित पदाधिकारी के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

अनुलग्नक :– **यथोपरि।**

ह0/–

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)
–सह–
जिला पदाधिकारी, सिवान।

ज्ञापांक– 1445 /पं0, सिवान दिनांक 22.05.2025

प्रतिलिपि :– प्रखण्ड विकास पदाधिकरी/अंचल अधिकारी, महाराजगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– अनुमंडल पदाधिकारी, महाराजगंज, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– अपर समाहर्त्ता, सिवान को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– उप विकास आयुक्त, सिवान को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।
प्रतिलिपि :– आयुक्त, सारण प्रमण्डल, छपरा को सादर सूचनार्थ समर्पित।

22.05.25

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)
–सह–
जिला पदाधिकारी, सिवान।

D:\ALL LETTER OP.docx